



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Atal Bhujal Yojana Haryana

2nd Event Training



किंवदं एवं जल संसाधन विभाग
हरियाणा



THE WORLD BANK



**INTECCO
TECHNICAL**
SERVICES PVT. LTD.



मांग क्षेत्र

जैविक खेती को बढ़ावा

ड्रिप सिंचाई कम पानी से अधिक उत्पादन

स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई

फसल विविधिकरण

जीरो टिलेज के द्वारा गेहूं की खेती

ब्राड बेड फुयरो विधि डिप सिंचाई

कृषि वानिक को बढ़ावा

मियावाकी पद्धति से वनरोपण

डी. एस. आर. विधि से धान की खेती

पूति क्षेत्र

रिचार्ज सापट

इंजेक्शन वैल

जलागम विकास

वर्षा पानी संग्रहण टैंक

फार्म पौण्ड

पौण्ड रिजुनेवेशन

योजनाओं का अभिसरण

- पात्र किसानो से डिमांड ले कर सम्बंधित लाइन विभाग तक आवेदन पहुंचाया जाएगा।
- क्षेत्रीय वेंडर की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।
- पैंडिंग आवेदन पर विभाग से सम्पर्क कर आवेदन का निराकरण करवाया जाएगा।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (micro irrigation system) सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि मानी जाती है. इस प्रणाली के तहत कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है. इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन से स्रोत से खेत तक पूर्व-निर्धारित मात्रा में आसानी से पहुंचाया जा सकता है. इसके इस्तेमाल से पानी की कम बर्बादी होती है. इस के तहत 30-40 फीसदी पानी की बचत होती है.

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की 2 प्रमुख विधियां

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की दो प्रमुख विधि-

फव्वारा सिंचाई

टपक सिंचाई

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की 2 प्रमुख विधियां

फव्वारा सिंचाई :फव्वारा विधि के लाभ:

- इस विधि में सतही सिंचाई विधियों की तुलना में जल प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है.
- फसल उत्पादन के लिये अधिक क्षेत्र उपलब्ध होता है क्योंकि इस विधि में नालियां बनाने की आवश्यकता नहीं होती.
- पानी का लगभग 80-90 प्रतिशत भाग पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि पारंपरिक विधि में लगभग 30-40 फीसदी पानी ही इस्तेमाल हो पाता है.
- इसमें जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं पड़ती. ऊंची-नीची और ढलान वाले स्थानों में आसानी से सिंचाई की जा सकती है.
- फसलों में कीटों व बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें स्प्रींकलर्स द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव बेहतर ढंग से किया जा सकता है.
- इस प्रणाली में फसलों में घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है.

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की 2 प्रमुख विधियां

टपक सिंचाई :टपक विधि के लाभ :

- इस प्रणाली के तहत सिंचाई करने पर परंपरागत विधि की तुलना में लगभग आधा पानी खर्च होता है, क्योंकि पानी सतह पर बहकर मृदा में जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं बहता.
- इस प्रणाली के तहत खेत में खरपतवार कम होते हैं, इसलिये श्रम की आवश्यकता भी कम हो जाती है.
- सिंचाई करने के कारण जड़ क्षेत्र में अधिक नमी रहती है जिससे लवणों की सांद्रता अपेक्षाकृत कम रहती है.
- यह प्रणाली सभी तरह की मृदाओं के लिये उपयोगी है, क्योंकि पानी को मृदा के प्रकार के अनुसार नियोजित किया जा सकता है.

एमआई के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एसओपी

- वेबसाइट www.cadaharyana.nic.in पर जाएं। "एमआई के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें
- मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया। यूजरनेम और पासवर्ड के रूप में मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें।
- <अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना और उप-श्रेणी का चयन करें।
- <योजना का चयन करने के बाद निम्नलिखित जानकारी भरें।
- < परिवार पंजीकरण सहित व्यक्तिगत जानकारी। भूमि विवरण (फैराड) की प्रति अपलोड करें।
- > बैंक विवरण (बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करें)
- > चुनी गई योजना के अनुसार एमआई परियोजना के घटकों के बारे में विवरण दें। पानी का स्रोत बताओ।
- > जल मार्ग की आवश्यकता के मामले में, नहर का नाम और आउटलेट संख्या चुनें। प्राथमिकता के लिए अंक प्राप्त करने के लिए विवरण दें।
- > खेत में बने तालाब के मामले में, टैंक का विवरण, कवरेज क्षेत्र के साथ-साथ देशांतर और अक्षांश का विवरण दें।
- > तालाब एवं उसके उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमति पत्र की प्रति अपलोड करें।
- ऑन-फार्म एमआई के मामले में, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का चयन करें, पूर्व सब्सिडी का विवरण (यदि कोई हो), स्थापित किए जाने वाले एमआई उपकरण (ड्रिप या स्प्रींकलर) और पसंदीदा विक्रेता का विवरण।
- आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, सिस्टम आवेदक को विशिष्ट आईडी उत्पन्न करेगा।
- माइकाडा के अधिकारियों से सत्यापन के बाद, किसान को निर्धारित समय सीमा के भीतर, यदि आवश्यक हो, शेष जानकारी भरने के लिए सूचित किया जाएगा।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना

जल संरक्षण के उद्देश्य से 'मेरा पानी मेरी विरासत' (Mera Pani Meri Virasat) योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिनके लिये **कम पानी की आवश्यकता** होती है।

योजना के तहत, आगामी खरीफ सीजन के दौरान धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ 7,000 रुपए भी दिये प्रदान किये जाएंगे।

जल संरक्षण की प्रमुख तकनीक

वर्षा जल संचयन : अभिप्राय

वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों । आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना।

वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ हैं :

आवश्यकतानुसार जल की प्राप्ति,

जमीन के अन्दर जल मात्रा बढ़ना,

जल प्रदूषण कम होना,

जल स्तर नीचे न गिरना,

मिट्टी का कटाव कम होना व कृषि फसलों को हरा-भरा बनाया जा सकना आदि।

घर की छत के वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे?

घर से थोड़ी दूर पर २ से ३ मीटर गहरा गड्ढा खोदकर, गड्ढे को ईट, कंकड़ और बजरी से भर देते हैं। फिर उसके ऊपर मोटी रेत डालते हैं। इस गड्ढे में छत पर गिरने वाले वर्षा के स्वच्छ जल को इकट्ठा करते हैं। विद्यमान बोर वेल में भी फ़िल्टर के माध्यम से जल डाल सकते हैं।

गली प्लग द्वारा वर्षा जल का संचयन

गली प्लग का निर्माण स्थानीय पत्थर चिकनी मिट्टी व झाड़ियों का उपयोग कर वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ढलान से छोटे कैचमेंट में बहते हुये नालों व जलधाराओं के आर-पार किया जाता है।

गली प्लग मिट्टी व नमी के संरक्षण में मदद करता है।

गली प्लग के लिए स्थान का चयन ऐसी जगह करते हैं जहां स्थानीय रूप से ढलान समाप्त होता हो ताकि बंड के पीछे पर्याप्त मात्रा में जल एकत्रित रह सके।

परिरेखा (कन्दूर) बाँध के द्वारा वर्षा जल संचयन


परिरेखा बांध वाटर शेड में लम्बे समय तक मृदा नमी को संरक्षित रखने की प्रभावी पद्धति है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां मानसून का अपवहित जल समान ऊँचाई वाले कन्दूर के चारों तरफ़ ढलान वाली भूमि पर बांध बना कर रोका जा सकता।

बहते हुए जल को कटाव वेग प्राप्त करने से पहले बंड के बीच में उचित दूरी रख कर रोक दिया जाता है।

दो कन्दूर बंड के बीच की दूरी क्षेत्र के ढलान व मृदा की पारगम्यता पर निर्भर होती है। मृदा की पारगम्यता जितनी कम होगी कन्दूर बंड के बीच दूरी उतनी कम होगी।

कन्दूर बंड साधारण ढलान वाली ज़मीन के लिए उपयुक्त होते हैं इनमें सीढ़ियां बनाया जाना शामिल नहीं होता।

परिरेखा (कन्दूर) बाँध के द्वारा वर्षा जल संचयन



हरियाणा सब्जियों की खेती के लिए विशेष अनुदान योजना

- सब्जी की खेती को बांस / लोहे एंगल की स्टैकिंग / प्लास्टिक मल्लिंग / प्लास्टिक टनल / सूक्ष्म सिंचाई के साथ करने वाले किसान होंगे लाभ के पात्र
- सामान्य वर्ग के लिए 5 एकड़, अनुसूचित जाति व शिवालिक क्षेत्र के लिए एक एकड़ तक अनुदान
- आवेदन हेतु <https://hortnet.gov.in/> पोर्टल पर जाएं
- अनुदान 'पहले आओ - पहले पाओ' के आधार पर
- 'मेरी फसल, मेरा ब्योरा' पर पंजीकरण अनिवार्य
- सूक्ष्म सिंचाई/ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लाभ हेतु <http://micada.haryana.gov.in> पर आवेदन करें



अधिक जानकारी के लिए

क्यूआर कोड स्कैन करें



अथवा

जिला उद्यान अधिकारी
से सम्पर्क करें

अथवा

कॉल करें (टोल फ्री नं.)

1800-180-2021



फसल विविधीकरण योजना



- सरकार द्वारा धान की फसल की जगह वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का/ज्वार/शरीरक/सिंहना,शरीरक-दलहन,सर्जिनियां व फल लगाने के लिए "मेरा पानी-मेरी विरासत" का वर्ष 2022 के लिए भी शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल किए गए हैं।
- किसान अपने पिछले वर्षों की धान के क्षेत्र की वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का/ज्वार/शरीरक/सिंहना/शरीरक-दलहन/सर्जिनियां व फल में बदल सकता है। जो किसान धान की जगह चारा या अपने क्षेत्र खासी भी रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जिन किसानों ने पिछले वर्षों में "मेरा पानी-मेरी विरासत" योजना के अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें लगाई थीं, वे इस वर्ष भी उसी किसानों के क्षेत्र पर पंजीकरण करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- किसान "मेरी फसल मेरा पानी" वेब पोर्टल पर अपने जगहों स्थान, सी.एच.सी. व कृषि विभाग के माध्यम से पंजीकृत करवा सकते हैं।


हरियाणा जल संसाधन प्रधिकरण



पता: आर.ए.डी. बिल्डिंग, हरियाणा

जिलों में पता: संसाधन विभाग, हरियाणा

दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य जिलों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा



दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने हेतु नई योजना शुरू

- किसानों को दी जाएगी **₹4,000/एकड़ वित्तीय सहायता**
- किसानों के खातों में **सीधे ट्रांसफर** की जाएगी राशि
- “**मेरी फसल-मेरा ब्यौरा**” पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण

दलहन फसल- मूँग, अरहर व उड़द

तिलहन फसल- अरण्ड, मूँगफली व तिल





श्री महेश चहल
मुख्य सचिव



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



श्री अनंद चहल
मुख्य सचिव
उद्यान विभाग

बागों के लिए हरियाणा सरकार की विशेष अनुदान योजना

विशेष रूप से राज्य में घास के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए

श्रेणी	काम का विवरण	अनुदान (एकड़) की रकम (लाखों)	अनुदान की रकम (एकड़)
क	सामान्य नूरी वाले फलों के वृक्ष (3 मीटर x 3 मीटर तक अधिक) कि. पीपल, नींबू, आम, आंव, एवं पानपत्ती जसी फलों के वृक्ष। एक एकड़ तकमान 100 वृक्षों।	45.0000/-	मूल अनुदान 33.0000/- (अनुदान का 75%) • इलाक़ा खर्च-10.0000/- • शिक्षित खर्च-20000/- • सुविधा खर्च-20000/-
ख	समान फलों के वृक्ष (3 मीटर x 4 मीटर तक फलदायी फल) आम, अमरुत, नींबू, खीरब, आम, आंव, अनूप, पानपत्ती, आंव, खीरब एवं इतर फल जसी फलों के वृक्ष। एक एकड़ तकमान 111 तक फलदायी वृक्षों।	1.00.0000/-	मूल अनुदान 75.0000/- (अनुदान का 75%) • इलाक़ा खर्च-20.0000/- • शिक्षित खर्च-10.0000/- • सुविधा खर्च-10.0000/-
ग	वृक्ष समूह (आंव) (3 मीटर x 3 मीटर तक फलदायी वृक्ष) एक एकड़ तकमान 44 वृक्षों।	2.00.0000/-	मूल अनुदान 1.44.0000/- (अनुदान का 72%) • इलाक़ा खर्च-34.0000/- • शिक्षित खर्च-20.0000/- • सुविधा खर्च-20.0000/-
घ	Trailing Systems/वेग जसकी लंबाई 1000, 1500 मीटर, अमरुत, आंव जसकी फलों के वृक्ष।	1.44.0000/-	मूल अनुदान 10.0000/- (अनुदान का 70%) एक मूल अनुदान



- एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र में अनुदान प्राप्त कर सकता है।
- आवेदन <http://hortnet.gov.in> पोर्टल पर करें।
- अनुदान प्राप्त करने वाले फलों के उद्यान पर।
- नवीं बारका फल उद्यान पर संशोधन अधिकारी।
- मूल निवासी / (एन. निवासी) फसली का काम करने के लिए <http://nicada.haryana.gov.in> पर आवेदन करें।
- अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग उद्यान अधिकारी से संपर्क करें।

एक ही पत्र
DHO-USA-2021



उद्यान विभाग

उद्यान भवन, सेक्टर-21, फंडाकुला, हरियाणा - 134112
ईमेल: horticulture@hry.nic.in, mlmiditharyana@gmail.com
वेबसाइट: www.hortharyana.gov.in





Thank
you!

